ग्राम पंचायत टुण्डी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टुण्डी विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

<u>प्रधान :–</u>

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति चंचला देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति सरला देवी	23.1.2016 से 31.3.2016

<u>सचिव :–</u>

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री डी0डी0 राम	1.4.2013 से 28.2.2014
2.	श्री सुरजीत सिंह	1.3.2014 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	अनुदान राशि का उपयोग न करना	4.51
2.	7	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना व्यय	3.58
3.	8	क्रम मदों की स्टॉक प्रविष्टियां व खपत विवरण अभिलेख तैयार न करना	3.58

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत टुण्डी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.6.2016 से 13.6.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 4/13, 12/14, 10/2015 व 11/13, 11/14, 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत टुण्डी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 92, दिनांक 8.6.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत टुण्डी से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत टुण्डी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत टुण्डी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत टुण्डी के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	10001	96573	106574	61428	45146

2014–15	45146	16785	61931	60984	947
2015–16	947	58823	59770	32152	27618

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत टुण्डी के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	69092	2861058	2930150	2720457	209693
2014–15	209693	914720	1124413	401507	722906
2015–16	722906	329975	1052881	601543	451338

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का अन्तशेष : ₹478956

31.3.2016 को बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण :–

क्र0 सं0	निधि का नाम	स्टेट बैंक टुण्डी (बैंक का खाता सं0)	राशि
1.	सामान्य निधि	19310101573	351683
2.	13वां वित्त	19310104285	3848
3.	सभा निधि	19310101185	27618
4.	मनरेगा	19310101191	शून्य
5.	वी0आर0जी0एफ0	19310103413	97128
		जोड़	**₹480277**

अन्तशेष का विवरण :–

(क)	दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹478956
(ख)	दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि	₹480277
(ग)	अन्तर	₹1321

4.1 (i) बैंक समाधान विवरणीः–

सामान्य निधि खाता संख्याः 1573 में दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही अनुसार अन्तशेष ₹350362 था, जबकि दिनांक 31.3.2016 को बैंक में ₹351683 शेष है। इस प्रकार रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹1321 का अन्तर है। अतः रोकड़ वही व बैंक खाते का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) सामान्य निधि खाता संख्याः 1573 में दिनांक 14.5.2013 को ₹9600 तथा दिनांक 21.5.2013 को ₹45240 कुल ₹54840 पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय सीधे बैंक में जमा किया गया था, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ वही में नहीं की गई व प्रविष्टि अंकेक्षण के दौरान करवा दी गई। अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान प्रत्येक माह के अन्त में किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उक्त प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लग सके।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत टुण्डी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेख, संकर्म, काराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पंचायत राजस्व की ₹0.44 लाख वसूली हेतु शेष :–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	परिवार संख्या	दर प्रति परिवार	मांग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	518	20	10360	शून्य	10360
2014–15	518	20	10360	1500	8860
2015–16	523	20	10460	8000	2460
				कुल वसूली हेतु शेष	**₹21680**

नोटः– गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है तथा वर्ष 2011–12 व 2012–13 में भी गृहकर की वसूली नहीं की गई है।

2. शराब कर

वर्ष	प्राप्ति ₹
2013–14	78063
2014–15	शून्य
2015–16	49488

3. भू–राजस्व :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	5478	5478	10956	शून्य	10976
2014–15	10976	5478	16434	शून्य	16434
2015–16	16434	5478	21912	शून्य	21912

वर्ष 2011–12 में रसीद संख्याः 234579, दिनांक 30.3.2012 के अन्तर्गत ₹5478 की वसूली भू–राजस्व के रूप में की गई थी। इसके उपरान्त भू–राजस्व की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त पंचायत राजस्व गृहकर शराब कर वर्ष 2014–15 भू–राजस्व कर इत्यादि की कुल शेष वसूली योग्य राशि को संग्रहित करने हेतु उचित कठोर कदम उठाए जाएं व राजस्व वसूली हेतु शीर्षवार मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

6. अनुदान ₹4.51 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 मे अनुदान ₹451338 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.58 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा निर्माण सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹358490 की सामग्री का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से

नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर व निर्माण सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई ₹3.58 लाख की मदों की स्टॉक प्रविष्टियां न करना :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट—'2"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹358490 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :—

अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैसे रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट, ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकंलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी। क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

10. विहित रजिस्टरों का रख—रखाव न करना :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)

5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

11. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच0(पंच)15(vii)5/2016, खण्ड–1–5640–5642 दिनांकः 26.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत टुण्डी, विकास खण्ड भटियात, तहसील भटियात, जिला चम्बा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, तहसील चम्बा, जिला चम्बा हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "2"

ग्राम पंचायत टुण्डी विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा **पैरा संख्या : 7 में सन्दर्भित**

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण/सामग्री क्रय बारे

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	अनुदान/निधि का नाम	जिससे सामग्री क्रय की	संक्षिप्त विवरण	राशि
1.	32, 4.11.13	सामान्य	श्री मनी राम	पत्थर आपूर्ति	21440
2.	7, 27.11.14	सामान्य	मैसर्ज जरियाल गुडज कैरियर	570 CF व रेत	22800
3.	8, 27.11.14	सामान्य	मैसर्ज वृज लाल चौहान एण्ड सन्ज	सरिया इत्यादि	31550
4.	9, 27.11.14	सामान्य	मैसर्ज भारद्वाज वौल्डिंग वर्क्स	एंगल इत्यादि	17900
5.	50, 9.10.15	सामान्य	मैसर्ज जरियाल गुडज कैरियर	रेत आपूर्ति	39900
6.	55, 23.10.15	सामान्य	मैसर्ज जरियाल गुडज कैरियर	रेत आपूर्ति	26600
7.	29, 1.10.13	B.R.G.F.	मैसर्ज सुपर स्टील एवं रबड इन्डस्ट्री जसूर	4 सोलर लाईटस	150000
8.	37, 6.11.13	B.R.G.F.	मैसर्ज अबूशन ट्रेडर्ज समौट	रेत व बजरी की आपूर्ति	37800
9.	37, 6.11.13	B.R.G.F.	–यथोपरि–	पत्थरों की आपूर्ति	10500
				योग	**₹358490**